न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं.-1, किशनगढबास, जिला खैरथल-तिजारा (राज.)
पीठासीन अधिकारी - दीपेन्द्र माथुर, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दीवानी विविध प्रकरण सं.-28/2022, (सी.आई.एस.सं.- 03/2022)

1. नीलम पत्नी ओमप्रकाश, निवासी बीलाहेडी, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर, राज.

…………………प्रार्थीया

ब ना म

1. आम जनता

………….अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम

उपस्थित-

1. विद्वान अधिवक्ता श्री रणवीर, प्रार्थीया की ओर से।
2. अप्रार्थी आम जनता की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

--आदेश--

दिनांक 27 मार्च, 2026

1. प्रार्थीया नीलम की ओर से यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 04.03.2022 को प्रस्तुत किया गया। जिसका निस्तारण इस आदेश के माध्यम से किया जा रहा है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मृतक लोहित प्रकाश पुत्र ओमप्रकाश, निवासी बिलाहेडी, तहसील कोटकासिम जिला अलवर, राज. का मूल निवासी थी। जो प्रार्थीया का इकलौता पुत्र था। जिसकी मृत्यु दिनांक 29.11.2021 को हो गई। मृतक लोहित प्रकाश की विधिक वारिस प्रार्थीया है। मृतक लोहित प्रकाश ने अपने जीवनकाल में एक बचत खाता संख्या 61237504131, आईएफएस कोड सं.SBIN0002397 को एस.बी.आई. बैंक, शाखा कोटकासिम में खुलवाया हुआ था। जिसमें मृतक लोहित प्रकाश ने नोमिनी का नाम दर्ज नहीं कराया। बचत खाता की समस्त राशि मय समस्त परिलाभ प्रार्थीया प्राप्त करने की हकदार है। मृतक लोहित प्रकाश के प्रार्थीया अन्य कोई विधिक व कानूनी वारिसान नहीं है। जमाशुदा रकम प्राप्त करने हेतु प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र मय समस्त दस्तावेज बैंक में पेश किये परंतु बैंक अधिकारी ने समक्ष न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र लाने के लिए कहा। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण के पक्ष में मृतक लोहित प्रकाश पुत्र श्री ओमप्रकाश का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जाये।

3. प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बाद सर्वसाधारण को नोटिस जारी किया गया तथा पंजाब केसरी व दैनिक भास्कर के दिनांक 07.09.2022 के संस्करण में सर्वसाधारण को सूचना का साया भी करवाया गया, किंतु किसी के द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई एवं कोई आक्षेपकर्ता उपस्थित नहीं हुआ है।

4. तदुपरांत प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र के समर्थन में साक्षी ए.ड.1 नीलम व ए.ड.2 महेन्द्र सिंह को परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य के तहत प्रदर्श-1 लगायत प्रदर्श-6 दस्तावेजात को प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाया गया।

5. बहस प्रार्थना-पत्र एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी ए.ड.1 नीलम, ए.ड.2 महेन्द्र सिंह द्वारा मुख्य परीक्षा के तहत प्रस्तुत शपथ पत्रों में प्रार्थना-पत्र के तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए मूल रूप से यही कथन किये हैं कि मृतक लोहित प्रकाश पुत्र श्री ओमप्रकाश प्रार्थीया का इकलौता पुत्र था। जिसकी मृत्यु दिनांक 29.11.2021 को हो गई। मृतक लोहित प्रकाश की विधिक वारिस प्रार्थीया है। मृतक लोहित प्रकाश ने अपने जीवनकाल में एक बचत खाता संख्या 61237504131, आईएफएस कोड सं.SBIN0002397 को एस.बी.आई. बैंक, शाखा कोटकासिम में खुलवाया हुआ था। जिसमें मृतक लोहित प्रकाश ने नोमिनी का नाम दर्ज नहीं कराया। बचत खाता की समस्त राशि मय समस्त परिलाभ प्रार्थीया प्राप्त करने की हकदार है। मृतक लोहित प्रकाश के प्रार्थीया अन्य कोई विधिक व कानूनी वारिसान नहीं है। जमाशुदा रकम प्राप्त करने हेतु प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र मय समस्त दस्तावेज बैंक में पेश किये परंतु बैंक अधिकारी ने समक्ष न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र लाने के लिए कहा।

6. न्यायालय के समक्ष लेखबद्ध की गई मुख्य परीक्षा में साक्षी नीलम (ए.ड.1) ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजात मृत्यु प्रमाण पत्र लोहित प्रकाश प्रदर्श-1, असल आधार कार्ड नीलम प्रदर्श-2, जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श-2 ए, असल पासबुक मृतक लोहित प्रदर्श-3, असल आधार कार्ड मृतक लोहित प्रकाश प्रदर्श-4, पंजाब केसरी अखबार साया प्रदर्श-5, दैनिक भास्कर अखबार साया प्रदर्श-6 आदि पेश करना जाहिर किया।

7. उपरोक्त मौखिक साक्ष्य के अलावा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि प्रार्थीया के पुत्र लोहित प्रकाश पुत्र श्री ओमप्रकाश की मृत्यु दिनांक 29.11.2021 को (मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श-1 के अनुसार) हो चुकी है। पत्रावली पर संलग्न प्रार्थीया के आधार कार्ड की फोटोप्रति के अनुसार उक्त प्रार्थीया का उक्त मृतक लोहित प्रकाश की माता होना दृष्टिगत होता है। बैंक खाता पासबुक की फोटोप्रति (प्रदर्श-3) के अनुसार एस.बी.आई. बैंक, शाखा कोटकासिम में उक्त मृतक लोहित प्रकाश पुत्र श्री ओमप्रकाश के नाम से खाता सं. 61237504131, आईएफएस कोड सं.SBIN0002397 होना परिलक्षित होता है। मृतक लोहित प्रकाश के वारिसान के रूप में वर्तमान में प्रार्थीया ही प्रतीत होती है। इस संबंध में किसी अन्य के द्वारा कोई भी आपत्ति नहीं की गई है। उपरोक्तानुसार बैंक खाता पासबुक की फोटोप्रति (प्रदर्श-3) के अनुसार मृतक लोहित प्रकाश के उक्त बैंक खाते में रूपये तथा अन्य परिलाभ जमा होना परिलक्षित होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया के पक्ष में मृतक लोहित प्रकाश के बैंक खाते में जमाशुदा रूपये व अन्य परिलाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी

किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः ऐसी अवस्था में मौजूदा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य दृष्टिगत होता है।

--आदेश--

8. परिणामतः प्रार्थीया नीलम की ओर से भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के तहत प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकर किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीया द्वारा समुचित राशि का न्यायशुल्क प्रस्तुत करने पर मृतक लोहित प्रकाश पुत्र ओमप्रकाश, निवासी बिलाहेडी, तहसील कोटकासिम जिला अलवर, राज. के एस.बी.आई. बैंक, शाखा कोटकासिम में स्थित खाता संख्या 61237504131, आईएफएस कोड सं.SBIN0002397 में जमाशुदा राशि व अन्य परिलाभ बाबत प्रार्थीया के पक्ष में नियमानुसार उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र जारी किया जावे।

(दीपेन्द्र माथुर)
अपर जिला न्यायाधीश संख्या-1,
किशनगढबास, जिला खैरथल-तिजारा (राज.)

9. आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दीपेन्द्र माथुर)
अपर जिला न्यायाधीश संख्या-1,
किशनगढबास, जिला खैरथल-तिजारा (राज.)